

संघ प्रदेश दादर एवं नगर हवेली एवं दमण एवंधीव,
शिक्षा विभाग, जिला पंचायत, दीव।

सं.2-36-87 /शिक्षा/जी.प./2021-22/192

दिनांक: 29 /07/2021

सीमित निविदा सूचना

दीव जिल्ले की 19 प्राथमिक एवम उच्च प्राथमिक शालाओ और 08 प्री-प्राइमरी के उपयोग हेतु शिक्षा विभाग, जिला पंचायत, दीव कि ओर से योग्य सुचिबध ठेकेदारो से निम्नलिखित वस्तु मंगवाने हेतु निम्नलिखित शर्तों के आधिन सीमित निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

Sr. No.	Particulars	Particulars of the Items	Quantity Approx.	Price per Piece
1	15 th August 2021,	Chikki (32 gm)	12000	
	19 th December 2021,			
	21 st January 2022			

नियम व शर्तों :

- केन्द्रिय बिक्री कर के सिवाय परिवाहन पर लगने वाले सभी प्रकार के करों/ शुल्को/ रायल्टी प्रभार आदि अंतिम दर में शामिल होना चाहिये।
- आवश्यक मात्रा में वस्तु आपूर्ति बाद बिल पास होने से भुगतान किया जायेगा।
- सफल बोलि लगानेवाले को इस विभाग द्वारा विनिदिष्ट सामग्रियों की आपूर्ति हेतु आपूर्ति आदेश की प्राप्ति के तुरंत करनी होगी। सफल निविदाकार को सामग्रियों की आपूर्ति दीव जिले कि सभी 21 पुर्व - प्राथमिक केन्द्रों में अपने खर्च से करनी होगी।
- डीलर GST से पंजीकृत होना चाहिए।
- उपरोक्त सामग्री का आदेश साल में तिन बार दिया जाएगा।
- निम्न स्तर की सामग्रियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा एवम अस्वीकृत सामग्रियों को वापस लेने एवम प्रतिस्थापित करने निविदाकार को अपने खर्च से करना होगा।
- निविदा दस्तावेज की मुल प्रति सिल बन्द लिफाफे पर निर्देश करते हुए शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायत, दीव को दिनांक 04/08/2021 को 11 :00 बजे तक प्रस्तुत करनी होगी जिसे उसी दिन 11:30 बजे हो सके तो खोला जायेगा।
- सभी बिल दो प्रतियों में होने चाहिए एव इसमें अनिवार्य रूप से आदेश की तिथि, एवम संख्याका उल्लेख होना चाहिए। रु. 5000/- के बिल पर राजस्व स्टाम्प अनिवार्य होना चाहिए।
- निविदाकर्ता अर्थहिन बोलि न लगाये एवम निविदा लेखन पर किसी प्रकार का सुधार नहीं होना चाहिए अगर ऐसा पाया जाता है तो निविदा को अस्वीकृत किया जायेगा।
- निविदाकर्ता दर की पेशकश संलग्न सूची में दिये गये ब्रान्द /गुणवत्ता से करनी होगी।
- अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार है कि वे किसीभी निविदा या सभी निविदाओं को बिनाकारण बताए रद्द कर सकता है।
- निविदा सूचना वेबसाइट www.diu.gov.in पर उपलब्ध रहेंगी।

पि.यू.आर.मरू
(पियूष आर.मरू)
शिक्षा अधिकारी,
जिला पंचायत, दीव।

सेवा में,